

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(15)नियम/डीएलबी/17/11774


जयपुर दिनांक 26/04/17

अधिसूचना

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 23 सपठित नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अभियान अवधि के लिए 150 वर्गज क्षेत्रफल तक भू-पट्टी आवंटन/नियमन आरक्षित दर की दुगुनी दर पर विक्रय करने की शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की जाती है।

यह छूट मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान तथा दिनांक 10.07.17 के पश्चात भी इस योजना में दी गई सुविधाएं एवं रियायतें यथावत रहेगी जिराके अर्न्तगत अग्रिम आदेश तक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/17/11775-12239 जयपुर, दिनांक: 26/04/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज
09. स्थान जयपुर
10. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी